

अपीलीय सिविल

एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति के समक्ष

लक्ष्मी आयल मिल्स, सर्कुलर रोड, अंबाला शहर – याचिकाकर्ता

बनाम

ठाकर दास आदि, - उत्तरदाता

सिविल विविध के साथ 1970 के आदेश संख्या 141 से पहली अपील

1970 की संख्या 5899

17 सितंबर, 1971।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948 का XXXIV) - धारा 61 - कार्य-पुरुष प्रतिकर अधिनियम (1923 का VII) - धारा 3 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगार, अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान मर जाता है - बीमा के लाभों के हकदार मृतक के आश्रित - क्या कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने से वंचित है।

यह माना गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 61 के प्रावधान की सीधी भाषा का उद्देश्य अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ के दावे के खिलाफ एक रोक बनाना है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 स्पष्ट रूप से एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत कामगार द्वारा प्राप्त चोट के लिए समान लाभ या मुआवजा स्वीकार्य है। यदि बीमा अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को कर्मकार मुआवजा अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों के तहत इसी तरह का दावा करने की अनुमति दी जाती है, तो अधिनियम की धारा 61 के स्पष्ट प्रावधान वस्तुतः अनुचित हो जाएंगे। बीमा अधिनियम में नियोक्ताओं द्वारा कतिपय मामलों में सांविधिक अनिवार्य बीमा का प्रावधान है। उन्हें अपने कारखानों में काम करने वाले बीमित कर्मकार के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह असंगत होगा कि इस तरह एक नियोक्ता को चोट के लिए कामगार के लिए उत्तरदायी होना जारी रखना चाहिए। बीमा कानून के सामान्य सिद्धांतों पर, यह अनुचित है कि एक व्यक्ति, जिसने नुकसान के खिलाफ खुद को बीमा किया है, फिर भी इस तरह के बीमा के बावजूद इसके

लिए उत्तरदायी रहना चाहिए। बीमा का उद्देश्य और उद्देश्य और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम खो जाएगा यदि वह उन सभी लाभों के लिए अन्य अधिनियमों के तहत उत्तरदायी बना रहता है जो अधिनियम के तहत बीमित कर्मकार को उपलब्ध हैं। अधिनियम की धारा 61 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस तरह की आकस्मिकता को रोकना है। ऐसा लगता है कि बार कानूनी कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए बनाया गया है। यदि अधिनियम के तहत सांविधिक बीमा एक बीमित कामगार के लाभ को सुनिश्चित करता है, और अधिनियम के तहत बनाया गया निगम विकलांगता और आश्रितों के लाभों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, तो कोई कारण नहीं है कि बीमित कामगार को अन्य अधिनियमों के तहत भी समान या समान दावे करने की अनुमति देने में कार्यवाही के दोहराव की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए अधिनियम की धारा 61 अधिनियम के तहत बीमित कामगार के आश्रितों को कर्मकार मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत समान लाभ का दावा करने से रोकती है।

(पैरा 6, 7 और 9)

कामगार प्रतिकर अधिनियम, अंबाला के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आई. एम. मलिक, न्यायालय के दिनांक 21 जुलाई, 1970 के आदेश से प्रथम अपील, जिसमें आवेदकों को प्रतिवादी सं 20070 से 7 हजार रुपए की राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है। (ख) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के अनुसार 10,000/- रुपए के बीच वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को देय क्षतिपूत की दर से 100 से रु. 150 बजे और आवेदक को उत्तरदाता संख्या 10 से आवेदन की लागत वसूल करने के लिए अधिकृत करना। 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ आवेदन को लागत के साथ खारिज करना।

सिविल मिस. नही. 5,899/70: कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30-ए के साथ पढ़ी जाने वाली सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन,

प्रार्थना है कि कामगार मुआवजा आयुक्त को निर्देश दिया जाए कि वह इस अपील के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादी नंबर 1 को 7,000 रुपये का भुगतान न करें।

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील एलएम सूरी।

फकीर चंद अग्रवाल, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए के. एल. कपूर, वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति संधावलिया— (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के संगत उपबंधों के अधीन बीमित कामगार अथवा उसके आश्रितों को उक्त अधिनियम की धारा 61 के आधार पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अंतर्गत क्षतिपूत अथवा इसी प्रकार के अन्य लाभ का दावा करने से रोका गया है अथवा नहीं, यह एकमात्र मुद्दा है जो इस अपील में निर्धारण के लिए उठता है।

(2) एकमात्र मुद्दा जो उत्तेजित किया गया है वह शुद्ध कानून का है और उससे संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा। खरैती लाई मृतक अंबाला शहर के अपीलकर्ता मेसर्स लक्ष्मी ऑयल मिल्स के स्वामित्व वाले कारखाने में 120 रुपये की मासिक मजदूरी पर एक कामगार के रूप में कार्यरत था। 26 नवम्बर, 1966 को उक्त कारखाने में काम करते समय उपर्युक्त कामगार परिसर में स्थित गर्म पानी की टंकी में गिर गया और उसे बेहोशी की हालत में वहां से निकाला गया। उसके पिता ठाकर दास प्राप्त सूचना पर वहां पहुंचे और अपीलकर्ता के एक कर्मचारी के साथ खरैती लाई मृतक को अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने उसी दिन दोपहर 3 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के माता-पिता ने कामगार मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के तहत 10,000 रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए एक आवेदन दिया। आवेदकों के मामले को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने के अलावा, अपीलकर्ता ने एक कानूनी दलील दी कि वे मृतक या उसके आश्रितों को किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे क्योंकि पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमाकृत था और उस कानून के तहत बनाया गया निगम अकेले उत्तरदायी था। ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए -

1. क्या लक्ष्मी ऑयल मिल्स (प्रतिवादी संख्या 1) इस तथ्य के मद्देनजर किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि मृतक का कर्मचारी राज्य

बीमा अधिनियम के तहत बीमा किया गया था?

2. क्या मृतक को अपने रोजगार के दौरान घातक चोटें आईं?
3. क्या आवेदक मृतक के आश्रित हैं?
4. आवेदक मुआवजे की कितनी राशि के हकदार हैं और किससे?
5. नियोक्ता पर आवेदकों द्वारा नोटिस जारी न करने का क्या प्रभाव पड़ता है?

मुद्दा संख्या 1 जो वर्तमान अपील के लिए महत्वपूर्ण है, अपीलकर्ता के खिलाफ तय किया गया था और यह माना गया था कि भले ही आवेदक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से लाभ का दावा कर सकते हैं, फिर भी वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ दावा किया जा सकता है। अन्य मुद्दों पर प्रतिवादी आवेदकों के पक्ष में आगे बढ़ते हुए, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को मुआवजे के रूप में 7,000 रुपये दिए।

(3) अपील के समर्थन में श्री सूरी ने वास्तव में गुण-दोष के आधार पर मुद्दे संख्या 2 से 5 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। एकमात्र चुनौती मुद्दा संख्या 1 पर निष्कर्ष के संबंध में है। उठाए गए तर्क का मुख्य कारण यह है कि अधिनियम की धारा 61 प्रतिवादी-आवेदकों के खिलाफ कामगार मुआवजा अधिनियम की धारा 3 के तहत अपीलकर्ता से किसी भी मुआवजे की वसूली के लिए एक वैधानिक रोक बनाती है, जबकि वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादियों की ओर से श्री एफ. सी. अग्रवाल ने स्वीकार किया कि कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत उनके ग्राहकों द्वारा दावा किया गया मुआवजा अधिनियम के तहत

उनके लिए उपलब्ध एक समान या समान लाभ था। इसलिए स्वीकार किए गए आधार पर आसानी से तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए जाने वाले लाभ दोनों अधिनियमों में से किसी के तहत समान प्रकृति के थे।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक खरीती लाल कानून के प्रावधानों के तहत एक विधिवत बीमित कामगार था। अपीलकर्ताओं ने मृतक के संबंध में अधिनियम के तहत संबंधित बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। वास्तव में आवेदक-उत्तरदाताओं की ओर से यह था स्वीकार किया कि मेसर्स लक्ष्मी ऑयल मिल्स मृतक के बीमा के लिए एक राशि का योगदान करती थी और उसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संबंधित पहचान पत्र जारी किया गया था। यह चुनौती का विषय नहीं है कि उपर्युक्त स्वीकृत तथ्यों के संदर्भ में मृतक कामगार और उसके आश्रित अधिनियम के तहत उन्हें प्राप्त लाभ और मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे। ट्रायल कोर्ट ने इन शब्दों में ऐसा कहा: -

"मेरी राय में आवेदक प्रतिवादी नंबर 2 से आश्रितों के लाभ का दावा कर सकते हैं और अपने बेटे की मृत्यु के कारण प्रतिवादी नंबर 1 से मुआवजे का भी दावा कर सकते हैं।"

यह उपरोक्त निष्कर्ष है जो अपीलकर्ताओं की ओर से हमले के मूल का विषय-वस्तु है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से भजन राम बनाम *भजन राम पर भरोसा किया/कर्मचारी राज्य बीमा निगम*¹। उपरोक्त निर्णय के तथ्यों और अनुपात के निकट संदर्भ से पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इसके अनुपात को गलत समझा है। इसमें पंजाब बिजली बोर्ड के एक बीमित लाइन-मैन के आश्रितों ने कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया था और पहले ही प्राप्त कर लिया था। इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक के आश्रितों की ओर से एक आवेदन किया गया था और एक आपत्ति उठाई गई थी कि कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत पहले से ही मुआवजा प्राप्त करने वाले

¹ 1969 P,L,R, 644,

डिपेन लैट्स कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत इसके हकदार नहीं थे। —

"धारा 61 एक आश्रित को 'आश्रित लाभ' के समान किसी भी लाभ को फिर से प्राप्त करने से रोकती है, जिसे वह किसी अन्य अधिनियम के तहत प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन इस स्थिति का प्रावधान नहीं करता है कि क्या होगा जब कोई व्यक्ति वास्तव में अधिनियम के तहत दावा करने से पहले किसी अन्य अधिनियम के तहत ऐसा लाभ प्राप्त करता है। यदि मैं प्रतिवादी के विद्वान वकील की दलील को स्वीकार करता हूँ, तो मैं धारा 61 में कुछ ऐसा पढ़ूँगा जो मौजूद नहीं है। विधानमंडल, यदि ऐसा इरादा था, तो किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए एक प्रावधान बना सकता था अधिनियम के तहत आश्रितों के लाभ का दावा करते हुए यदि वह पहले से ही किसी अन्य अधिनियम के तहत इसे प्राप्त कर चुका है।"

उपरोक्त तथ्यों और अनुपात से पता चलता है कि *भजन राम का मामला* वर्तमान के तथ्यों के विपरीत था। यहां प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या मृतक कर्मकार के आश्रित, जो स्पष्ट रूप से इस अधिनियम के तहत लाभों के हकदार हैं, कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत कोई समान लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं। *भजन राम का मामला* इस मुद्दे को कवर नहीं करता है और न ही यह दिखाने के लिए कुछ भी निर्धारित करता है कि प्रतिवादी किसी भी मामले में दावा व्यापारी को कामगार मुआवजा अधिनियम बनाने के हकदार होंगे।

(4) प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान, जिसके निर्माण के संबंध में मामला धारा 61 की ओर मुड़ता है, जो इन शर्तों में है-

61. अन्य अधिनियमों के तहत लाभों की रोक; जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दोष का हकदार है, तो वह

किसी अन्य अधिनियमन के प्रावधान के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(5) उपर्युक्त प्रावधान की सरल भाषा का उद्देश्य अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के स्वीकार्य व्यापारी के समान लाभों का दावा करने के खिलाफ एक रोक बनाना है। तथ्यों में, अनुभाग के शब्द स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं। जाहिर है, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम एक ऐसा अधिनियमन है जिसके अंतर्गत कामगार द्वारा प्राप्त जांच के लिए समान लाभ या मुआवजा स्वीकार्य है। *भजन राम के मामले*(1) (सुप्रा) में पहले ही कहा जा चुका है कि एक व्यक्ति जो पहले से ही कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, उसे वर्तमान अधिनियम के तहत दावा करने से वंचित नहीं किया जाता है, यदि ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाता है, तो यह अधिनियम के तहत हकदार व्यक्ति को अन्य अधिनियमों के तहत इसी तरह का दावा करने के लिए मुआवजा प्राप्त करने में भी सक्षम करेगा। यह अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों को वस्तुतः अनुचित बना देगा। इस तरह के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, भले ही ऊपर उद्धृत धारा 61 की सरल भाषा स्पष्ट रूप से एक को लागू करने का इरादा रखती है। यह निर्माण की एक प्राथमिक तोप है कि एक व्याख्या जो एक क़ानून के प्रावधानों को निरर्थक बनाती है, उससे बचा जाना चाहिए।

(3) सिद्धांत रूप में भी ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। इस अधिनियम में नियोक्ताओं द्वारा कतिपय मामलों में सांविधिक अनिवार्य बीमा का प्रावधान है। उन्हें अपने कारखानों में काम करने वाले बीमित कर्मकारों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह असंगत होगा कि ऐसे नियोक्ता को चोट के लिए कामगार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। बीमा कानून के

सामान्य सिद्धांतों पर, यह अनुचित है कि एक व्यक्ति, जिसने नुकसान के खिलाफ खुद को बीमा किया है, फिर भी ऐसे बीमा के बावजूद इसके लिए उत्तरदायी रहना चाहिए। बीमा का उद्देश्य और उद्देश्य और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम खो जाएगा यदि वह उन सभी लाभों के लिए अन्य अधिनियमों के तहत उत्तरदायी बना रहता है जो अधिनियम के तहत बीमित कर्मकार को उपलब्ध हैं। उपरोक्त धारा 61 का उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस तरह की आकस्मिकता को रोकना है। ऐसा लगता है कि बार कानूनी कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए बनाया गया है। यदि अधिनियम के तहत सांविधिक बीमा एक बीमित कामगार के लाभ को सुनिश्चित करता है, और अधिनियम के तहत बनाया गया निगम विकलांगता और आश्रितों के लाभों के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है कि बीमित कामगार को अन्य अधिनियमों के तहत भी समान या समान दावे करने की अनुमति देने में कार्यवाही के दोहराव की अनुमति दी जानी चाहिए। उद्देश्य समान रूप से कामगार को होने वाले दोहरे लाभ को रोकना हो सकता है और बीमित नियोक्ता पर पड़ने वाली दोहरी देयता को भी रोक सकता है। अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों के लिए प्राथमिक दायित्व उसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाता है, जिसमें अन्य अधिनियमों के तहत समान दावों का दावा करने का स्पष्ट बहिष्करण होता है।

(4) मैं सैद्धांतिक रूप से और धारा 61 की विशिष्ट भाषा दोनों पर जो दृष्टिकोण लेना चाहता हूं, उसे दो निर्णयों में टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त होता है, हालांकि इसमें बिंदु थोड़ा अलग प्रतीत होता है। *क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली में विद्वान न्यायाधीश डायर मीकिन ब्रुअरीज और अन्य*² ने निम्नलिखित टिप्पणी की है -

"धारा 61, हालांकि, इस अधिनियम के तहत किसी भी लाभ के हकदार व्यक्ति

² A.I.R. 1958 Pb. 136

को किसी अन्य अधिनियम के तहत समान लाभ प्राप्त करने से रोकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह धारा किसी अन्य अधिनियम के तहत लाभ की वसूली को रोकती है, लेकिन 'किसी अन्य कानून' के तहत नहीं।

मेरी राय में यह धारा इतनी व्यापक है कि किसी आश्रित को 'आश्रितों के लाभ' के समान कोई भी लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके, जिसे वह किसी अन्य अधिनियम के तहत प्राप्त करने का हकदार है, जैसे कर्मकार मुआवजा अधिनियम।

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मकारों में *डिवीजन बेंच* बहुत। *एच. के. चौधरी और अन्य*³ ने इसी प्रकार प्रथागत लाभों आदि के दायरे का अर्थ लगाते हुए संक्षेप में इन शब्दों में टिप्पणी की थी-

"धारा 61 अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए लाभों में से किसी के हकदार व्यक्ति को किसी अन्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ प्राप्त करने का हकदार होने से रोकती है, लेकिन उसे समान लाभ प्राप्त करने से नहीं रोकती है, जिसके लिए कामगार अपनी सेवा शर्तों के तहत या प्रथागत रियायत के माध्यम से हकदार हो सकता है।"

. (9) अतः, मैं यह कहूंगा कि अधिनियम की धारा 61 अधिनियम के अंतर्गत बीमित कर्मकार (प्रतिवादी-आवेदकों) के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत समान लाभ का दावा करने से रोकती है। इसलिए, मुद्दा संख्या 1 पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष उलट है और अपील को स्वीकार करते हुए मैं अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादियों को दिए गए मुआवजे को रद्द करता हूँ। हालांकि, लागत के बारे

³ A.I.R. 1965 Patna 127

में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल , हरियाणा

